

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
74वीं बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 10/06/2022

समय:- पूर्वान्ह 11:30 बजे

स्थान :- हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, सभागार

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद


मद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2021 तथा परिचालन के माध्यम से आहूत 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.01.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 72 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2020 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2021 की अनुपालन आख्या।	02 से 12 तक
3	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	13 से 20 तक
4	श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	21 से 22 तक
5	श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा ग्राम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न0 281/9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	23 से 24 तक
6	माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि0 ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0035/22-23 के क्रम में प्रस्तावित आश्रम भवन के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	25 से 26 तक
7	श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के क्रम में निर्मित बैंकट को शमन व होटल के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	27 से 28 तक
8	खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	29
9	हरिद्वार सीवरेज योजना में के0एफ0डब्लू0 वित्त पोषित सीवरेज कार्य हेतु इन्द्रलोक योजना भाग-1 तथा ट्रांसपोर्ट योजना में भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	30
10	श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि0 रकबा 380.0 वर्गमी0, खसरा संख्या 824 मि0रकबा 5402.0 वर्गमी0 कुल रकबा 5782.0 वर्गमी0 भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	31
11	प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धि तथा श्रेणी "E" के रूप में सृजित नई श्रेणी हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।	32
12	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	33
13	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40/V-2/21/55 (आ0)/2006 टी0सी0-1 देहरादून दिनांक 07.01.2022 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में	34 से 35 तक
14	सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनधिकृत कालोनियो के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	36

15	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त भूखण्डों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।	37 से 38 तक
16	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त भवनों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।	39
17	प्राधिकरण में संविदा पर तैनात कार्मिकों के पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	40
18	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	41

मद संख्या 74-(01)

प्राधिकरण की 72 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 तथा परिचालन के माध्यम से आहूत
73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 तथा परिचालन के माध्यम से
73 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2021 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई
आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 72वीं तथा 73वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की
पुष्टि की जाय।



महदानन्द जोशी
अभिशाही अभियन्ता

मद संख्या 74 (02)


हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 72 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2021 की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
मद संख्या 72(02)			
70(05)	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिए अनुमोदित रू०. 1071.72 लाख की स्वीकृति अनुसार कार्य शीर्ष प्राथमिकता के अनुसार सम्पादित कराये जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत स्थित कुल 88 पार्कों में प्रथम एवं द्वितीय चरणों में 74 पार्कों की निविदा आमंत्रित की गयी जिनमें वर्तमान में कार्य गतिमान है। शेष 14 पार्कों में से 09 पार्कों का सौन्दर्यीकरण कार्य नगर निगम हरिद्वार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है तथा 03 पार्कों के सम्बन्ध में मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन है। 01 पार्क में टावर विद्यमान है तथा 01 पार्क में ट्यूबवैल स्थापित है। उक्त 14 पार्कों के स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त शिवालिक नगर स्थित कुल 11 पार्कों का उद्यानीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(10)	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा० कड़च्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण का कार्य।	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा० कड़च्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिए अनुमोदित रू०. 941.02 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्य स्थल का निरन्तर अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए कृत कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा निरन्तर कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग हरिद्वार को गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं तथा कार्य को निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा भी थर्डपार्टी जांच हेतु आई०आई०टी० रूड़की को नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा समय-समय पर आवश्यक टेस्टिंग/निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत योजना को राज्य सरकार के एस०ए०पी० परियोजना के अन्तर्गत रू०. 500.00 लाख की स्वीकृति

			का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके कम में राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। एस0ए0पी0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का समायोजन सम्पूर्ण योजना हेतु स्वीकृत परियोजना की लागत में किया जायेगा।
70(22)	भवनों/ भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में	प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं भवनों/भूखण्ड (इन्द्रलोक ग्रुप हाउसिंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना को छोड़कर) की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगाये जाने वाले ब्याज दर के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में रिक्त सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस प्रक्रिया को 02 माह के अन्दर पूर्ण कर पुनर्मूल्यांकन ब्याज दर से शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि पूर्व में कार्यालय पत्र संख्या 2863 दिनांक 07.10.2021 में (कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस) हेतु EOI आमंत्रित की गयी थी। परन्तु कास्ट एकाउन्टेन्ट के निविदा/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 18.12.2021 के कम में कार्यालय आदेश संख्या 4350 दिनांक 20.12.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी। गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं के अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु कॉस्टिंग एवं आदर्श मार्ग सिद्धान्त के अनुसार समिति द्वारा प्रस्तावित रू0 47,862.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से सम्पत्तियों के विक्रय हेतु जून, 2022 तक पंजीकरण खोले जाने के साथ-साथ उक्त दर रू0 47,862.00 को आगामी वित्तीय वर्ष 31, मार्च, 2023 तक फ्रीज किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपाध्यक्ष महोदय की पृच्छा दिनांक 07.01.2022 के कम में पुनः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जाना प्रस्तावित है। तत्कम में विस्तृत आख्या सहित प्रस्ताव पृथक से एजेण्डा मद के कम संख्या 16 पर प्रस्तुत है।

माधवानन्द जोशी

70(29)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान के कुछ खसरो में भिन्नता होने के कारण जोनल प्लान के सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं कार्यदायी संस्था को शीर्ष प्राथमिकता पर 02 माह की समय सीमा निर्धारित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	<p>बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में अनुपालन हेतु वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र सं०-3330 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 प्रेषित किया गया।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा कार्यदायी संस्था को प्रेषित पत्र सं०-2106 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 प्रेषित कर प्रतिलिपि सूचनार्थ इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई। जिसकी प्रति संलग्न कर संबंधित फर्म को आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय पत्र सं०-4913 दिनांक 11.01.2022 प्रेषित किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र सं०- 806 /नग्रनि०/ ह०रू०वि०प्रा० /2022 दिनांक 18मई, 2020 द्वारा कार्यालय को अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय पत्र सं०-696/नग्रनि०/हरिद्वार जोनल प्लान/2022 दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा हरिद्वार जोनल प्लान को अन्तिम रूप देते हुए फर्म को निर्देशित किया गया था कि 10 मई, 2022 तक समस्त deliverables प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। परन्तु फर्म द्वारा deliverables प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। चूंकि फर्म का अनुबन्ध HRDA के साथ निष्पादित किया गया है। अतः HRDA स्तर से फर्म को deliverables प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। जिसके क्रम में संबंधित फर्म को संलग्नकों सहित कार्यालय पत्र सं०-893 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा सूचित किया जा चुका है।</p>
72(03)	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की गयी।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>


4

72(04)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तलपट मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की गई।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजना का तलपट मानचित्र वर्तमान में लागू भवन उपविधि एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत तैयार कराते हुए सक्षम स्तर से भी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के आधार पर प्राधिकरण के इम्पैन्लड वास्तुविद के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
72(05)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया गया। विचार विमर्श उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार स्थल पर ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य चयनित कार्यदायी संस्था से प्रारम्भ कराया जाये। साथ ही साथ दुर्बल आय वर्ग के भवनो के निर्माण हेतु आरक्षित भूमि का मूल्य एवं प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली क्रास सब्सीडी की प्रतिपूर्ति योजना के अवशेष सम्पत्ति से इस प्रकार सुनिश्चित की जाय कि किसी भी दशा में प्राधिकरण को वित्तीय हानि न होने पाये। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि अवशेष सम्पत्ति की कार्य योजना 02 माह के अन्तर्गत निश्चित रूप से तैयार कर प्रेषित की जाये। यहां यह भी संज्ञान में लाना है कि चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 रू0. 46.75 करोड़ के सापेक्ष रू0. 5.00 करोड़ की छूट प्रदान करते हुए कार्य को रू0. 41.75 करोड़ में पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गयी है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये है।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ किये जान हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यदेश निर्गत करते हुए माह नवम्बर 2021 में कार्य शुमारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा किया गया। स्थल पर 528 भवनों का निर्माण कार्य 33 ब्लॉकों के रूप में कराया जा रहा है, जिसमे से 16 ब्लॉकों में भूतल की छत डाली जा चुकी है। तथा अग्रेत्तर 17 ब्लॉकों में भूतल की छत हेतु शटरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष सम्पत्ति की कार्ययोजना प्राधिकरण में इम्पैन्लड वास्तुविद के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। माह जनवरी 2022 से माह मार्च 2022 तक विधान सभा निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य में अपेक्षित गति नहीं हो पायी है। वर्तमान मे इस कार्य को गति प्रदान करते हुए इसे शीघ्र पूर्ण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

72(06)	प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में	प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र सं0- 15 दिनांक 01.04.2022 द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुए दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक छः माह हेतु पंजीकरण खोले गये हैं। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
72(07)	प्राधिकरण की सराय रोड़ ज्वालापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र संशोधन उपरान्त भूखण्डों में हुई वृद्धि पर आवंटन एवं देय आरक्षण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की सराय रोड़ ज्वालापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र संशोधन उपरान्त भूखण्डों में हुई वृद्धि पर आवंटन एवं देय आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा अनुसूचित श्रेणी के भूखण्डों को आरक्षित रखते हुए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि अन्य आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उन्हें आवंटन में वरीयता प्रदान की जाये।	बोर्ड द्वारा लिए के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
72(08)	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त विस्तृत प्रस्ताव सभी विधिक राय लेते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में प्राप्त विधिक राय निम्नवत् है:- कृपया प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के मद संख्या 72(08) में प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत शुल्क लगाये जाने हेतु 1 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवासीय माना जाए या नहीं के विषय में प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया जिस पर प्राधिकरण बोर्ड ने यह निर्णय लिया तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं पर विधिक राय प्राप्त किये जाने के बाद आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। हरिलोक आवासीय योजना के भवनों एवं भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली दिनांक 15.09.1987 से प्रभावी है के नियम 10(1) में प्राविधान

है कि आवंटी भवन का विक्रय प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से ही करने के उपरांत हस्तांतरण कर सकेगा।

उपरोक्त पंजीकरण पुस्तिका के आवासीय योजना के नियम 11 में भवन विक्रय की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत समस्त धनराशि जमा होने तक लीजडीड के निष्पादन की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर यदि कंटा द्वारा भवन का विक्रय किया जाता है तो आवंटन की तिथि को सम्पत्ति के विक्रय मूल्य का हस्तांतरण की तिथि को सम्पत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य के अन्तर्गत का बीस प्रतिशत लामांश प्राधिकरण को देय होगा लामांश के भुगतान के पश्चात ही विक्रय की अनुमति की व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1639/9-आ0-1-95-80मिस/ 86 दिनांक 10.05.1995 जिसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में जिसको उत्तराखण्ड में भी लागू किया गया है (संलग्न 01) इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1778/9-आ0-1-93/213 डी0ए0 / 94 दिनांक 24.05.1995 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन से सम्बन्धित है, को भी उत्तराखण्ड में लागू किया गया है । (संलग्न 02)

शासनादेश सं0- 1639/9-आ0-1-95-80 मिस/86 दिनांक 10.05.1995 में भूमि व भवनों को फ्री-होल्ड करने में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-
1-विकास प्राधिकरणों/ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद नये आवंटियों को भूखण्ड अनिवार्य रूप से सीधे फ्री-होल्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और भूमि की 12 प्रतिशत धनराशि फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में ली जायेगी। यह धनराशि भूमि के मूल्य में सन्निकट रहेगी।

2-जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड

माधवानन्द जा.
अधिकारी

आवंटित किये जा चुके है उनके भूमि के रजिस्ट्रेशन शुल्क का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री-होल्ड कर दी जायेगी। परन्तु यह सुविधा उन्हें ही अनुमनय होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। लीज रेंट जमा करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23010.1986 के प्रस्तर सं०- 1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

3-महायोजना मे लागू भू-उपयोग के विपरीत कार्य करने वाले को यह सुविधा अनुमन्य नही होगी

शासनादेश

संख्या

1778/9-आ90-1-93-213 डी0ए0/94 दिनांक 24.05.1995 जारी करते हुए पूर्व शासनादेश संख्या 1639/9-आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 10.05.1995 में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार पूर्व शासनादेश के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर सं०-(2) की त्रुटिवश रजिस्ट्रेशन शुल्क के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित किया है :-

2(2) जिन आवंटियों का पूर्व मे लीज पर भूखण्ड आवंटन किया जा चुके है। उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री-होल्ड कर दी जायेगी। उक्त की सुविधा उन्ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे।


अतः शासनादेशो का परीक्षण करने के उपरांत मेरी राय मे प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना मे निर्मित फ्लैट्स को उल्लिखित शासनादेश के अनुरूप निर्धारित लीज रेंट भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत तथा फ्री-होल्ड शुल्क भूमि मूल्य का 02 प्रतिशत लागू अन्य शुल्क फ्लैट स्वामी से प्राप्त करते हुए फ्री-होल्ड किये जाने में कोई विधिक अवरोध नही है।

उक्त व्यवस्था मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में भी मल्टी स्टोरी भवनों पर लागू तथा फ्लैट्स आवेदन प्राप्त होने पर फ्री-होल्ड किये जा रहे है। मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विक्रय विलेख व फ्री-होल्ड विलेख का प्रारूप संलग्न है। (संलग्न 03)

भासनादेश सं०


8/10/2019

			<p>कृपया उपरोक्तानुसार विधिक राय प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। तदनुसार कार्यवाही की जाए।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
72(09)	<p>प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड संख्या सी0-1, सी0-2 क्षेत्रफल 3000 वर्ग मी0 के भू-उपयोग को ग्रुप हाउसिंग से ऑफिस कम रेजीडेन्स में परिवर्तित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक।</p>	<p>प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड संख्या सी0-1, सी0-2 क्षेत्रफल 3000 वर्ग मी0 के भू-उपयोग को ग्रुप हाउसिंग से ऑफिस कम रेजीडेन्स में परिवर्तित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त उक्त भूखण्ड को सन्दर्भित आवासीय योजना से पृथक करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि भूखण्ड धारक को योजना के अवस्थापना विकास कार्य का कोई लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा और न ही योजना में और कोई गेट व रास्ता खोला जायेगा।</p>	<p>बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में अधीक्षण अभियंता, जल संस्थान नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, परिमण्डल, देहरादून को पत्र सं0-2989 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 प्रेषित किया गया। तदोपरान्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही वांछित नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
72(10)	<p>प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता के साथ नगर निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए हरिलोक कालोनी नगर निगम हरिद्वार को 02 माह के अन्दर Hand Over किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्राधिकरण के अभियन्ताओं तथा नगर निगम हरिद्वार के अधिकारियों द्वारा किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान बनी सहमति के आधार पर हस्तांतरित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं को योजना के तलपट मानचित्र पर अंकित करते हुए हस्तांतरण Hand Over हेतु प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या 5366 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्रेषित किया गया है।</p>


 महेशचंद्रानन्द जोशी
 जम्हायी, अभियन्ता


72(11)	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड़ पर अल्प आय वर्ग भवनों हेतु ग्राम मंगलौर परगना मंगलौर तहसील रुड़की के अन्तर्गत खसरा संख्या 2732 व 2733 का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड़ पर अल्प आय वर्ग भवनों हेतु ग्राम मंगलौर परगना मंगलौर तहसील रुड़की के अन्तर्गत खसरा संख्या 2732 व 2733 का भू उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त इस सम्बन्ध में सी0टी0सी0पी0 का मन्तव्य लेते हुए विस्तृत प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2887 दिनांक 08.10.2021 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन एवं नियोजन विभाग उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया। तत्कम में प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1786 दिनांक 18.10.2021 के द्वारा प्रश्नगत स्थल का भू उच्चीकरण कृषि से आवासीय किये जाने की संस्तुति की गयी है। तदोपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के मन्तव्य को कार्यालय पत्र संख्या 4715 दिनांक 03 जनवरी 2022 द्वारा प्रकरण आवास विकास परिषद उत्तराखण्ड को अग्रत्तर कार्य वाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है। तदनुसार प्रकरण पर प्राधिकरण स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
72(12)	<p>निरंजनी आखाडा रोड़ श्रवणनाथ नगर (लाहौर हाउस) पर मैसर्स प्रसाद हैरिटेज प्रोनोट प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद द्वारा पूर्व स्वीकृत गेस्ट हाउस को होटल में परिवर्तन सम्बन्धित शमन विषयक।</p>	<p>निरंजनी आखाडा रोड़ श्रवणनाथ नगर (लाहौर हाउस) पर मैसर्स प्रसाद हैरिटेज प्रोनोट प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद द्वारा पूर्व स्वीकृत गेस्ट हाउस को होटल में परिवर्तन सम्बन्धित शमन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा सी0टी0सी0पी0 का मन्तव्य एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तदनुसाद प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में विपक्षी मैसर्स प्रसाद हैरिटेज प्रोनोट प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन शमन मानचित्र संख्या HRDA/NC/OTS/0003/21-22 दिनांक 06.03.2022 को स्वीकृत करते हुए निर्गत किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
72(13)	<p>मैसर्स IHC infra Built प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा पृथक-पृथक 02 व्यवसायिक मानचित्रों को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत होटल में परिवर्तन विषयक।</p>	<p>मैसर्स IHC infra Built प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा पृथक-पृथक 02 व्यवसायिक मानचित्रों को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत होटल में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा सी0टी0सी0पी0 का मन्तव्य एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तदनुसाद प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति की प्रकृिया गतिमान है। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

72(15)	प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में	प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में वर्तमान परिस्थियों के अनुरूप प्राधिकरण बोर्ड को पुर्नगठित किये जाने का अनुरोध कार्यालय पत्र संख्या 2835 दिनांक 05.10.2021 तथा कार्यालय पत्र संख्या 232 दिनांक 11.04.2022 द्वारा शासन से किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण पर शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
72(16)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय:-	प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर निर्धारित समयावधि के अन्दर निर्माण न करने के प्रतिबन्ध व निरस्तीकरण तथा सरचार्ज की वसूली के शिथिलीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्राधिकरण को दिये गये:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित शिवलोक आवासीय योजना एवं इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनके विक्रय विलेख में अर्थदण्ड का प्राविधान है, को सम्पूर्ण तथ्यों सहित शिथिलता हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाये तथा ऐसे विक्रय विलेख वाले प्रकरण जिनमें निरस्तीकरण का प्राविधान किया गया है, में निर्माण कार्य हेतु 02 वर्ष की समय-सीमा अन्तिम रूप से प्रदान करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये। भविष्य में जो भी रजिस्ट्री/लीज डीड निष्पादित की जायेगी उनमें अनिर्माण हेतु शर्त विलोपित करने हेतु निर्णय लिया गया।	बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में अनिर्माण की देयता में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में शासन स्तर से निर्णय हेतु कार्यालय पत्र सं0- 6141 दिनांक 21 मार्च, 2022 प्रेषित किया गया है। बोर्ड के निर्णय अनुसार ऐसे प्रकरण जिनके विक्रय विलेख में निरस्तीकरण की शर्त अंकित थी, इन समस्त प्रकरणों में निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 02 वर्ष की समय वृद्धि प्रदान की गयी है।


 माधवानन्द जोशी
 प्राधिकरण अध्यक्ष

प्राधिकरण की 73 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2021(परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या

मद सं०	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
73(01)	उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1647/V-2/21/11(एल0यू0सी0)/2003 T.C. देहरादून दिनांक 05.10.2021 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.14(II) एवं (III) में फिलिंग सटेशन से सम्बन्धित संशोधित मानकों को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में	उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।


 माधवानन्द जोशी
 अविभागीय अधिकारी

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10-06-2022 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10-06-2022 को मा० अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गयी :-

बैठक की उपस्थिति :-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री सुशील कुमार शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच.आर.डी.ए. | अध्यक्ष |
| 2. श्री विनय शंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष, एच०आर०डी०ए० | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री चिरंजी लाल, अनुसचिव (अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 4. श्री शंकर कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 5. सुरेश सिंह यादव, जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 6. श्रीमती प्रवीण कौर, कोषाधिकारी हरिद्वार (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 7. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी. (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड) | पदेन सदस्य |
| 8. श्री पी०एस०राणा, उप जिला अधिकारी हरिद्वार (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 9. श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर | पदेन सदस्य |
| 10. श्री दयानन्द सरस्वती, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार। | पदेन सदस्य |

सर्वप्रथम हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या-74 (01) प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07-09-2021 एवं 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-12-2021 (परिचालन)के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner


मद संख्या 74 (03)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक तथा वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

BUDGET 2022-23



BUDGET 2022-23
HARIDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY
HARIDWAR


मधुवानन्द जोशी
उपनिर्देशक

प्रस्तावित बजट

2022-23

बजट के सार में बजट अनुमानों को स्थूल समूहों में बांट कर परिलक्षित किया जाता है, ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके। यह दस्तावेज हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण है। इस दस्तावेज में प्राप्तियों के स्रोतों, उनके अनुप्रयोगों, तथा बजट को प्रस्तावित करने वाले महत्वपूर्ण संघटकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है।

- राजस्व प्राप्तियां- (रु0 2570.00 लाख)

राजस्व प्रप्तियों के अन्तर्गत मानचित्रों की स्वीकृतियों से प्राप्त धनराशि जिसमें विकास शुल्क, शमन शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, लेबर सेस, भू उच्चीकरण एवं प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के अनुरक्षण शुल्कों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

- पूंजीगत प्राप्तियां- (रु0 11330.14 लाख)

पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं (हरिलोक योजना, इन्द्रलोक योजना भाग-1 एवं भाग-2, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आसफ नगर रुड़की एवं अवस्थापना विकास निधि की धनराशि सम्मिलित है)।


- राजस्व व्यय- (रु0 2570.00 लाख)

राजस्व व्यय के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय (वेतन, भत्ते, नगदी, पेंशन अंशदान चिकित्सा व्यय) एवं कार्यालय व्यय है।

- पूंजीगत व्यय- (रु0 11330.14 लाख)


पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत भूमि का क्रय, विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं विकास (हरितिमा, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक योजना भाग 1 एवं भाग 2, आसफ नगर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना) तथा अवस्थापना विकास निधि पर व्यय की जाने वाली धनराशि है।

प्रस्तावित बजट हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार अवस्थापना विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जिसमें शहर की पार्किंग व्यवस्था तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।


C.F.O.


Secretary


Vice Chairman



Chairman/Commissioner

बजट वर्ष 2022-23

प्रस्तावित आय-व्यय का विवरण

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

क्रमांक	विवरण	वास्तविक आंकड़े 2019-20	वास्तविक आंकड़े 2020-21	वास्तविक आंकड़े 2021-22	प्रस्तावित आय- व्यय 2022-23	वास्तविक आंकड़े 22.05.2022	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	7	8	9
1	आय						
	राजस्व	1472.01	1640.18	1707.89	2570.00	334.28	
	पूंजीगत	2451.63	1397.69	2285.8	11330.14	1003.7	
	योग	3923.64	3037.87	3993.69	13900.14	1337.98	
2	व्यय						
	राजस्व	662.51	1145.9	1242.07	2570.00	89.78	
	पूंजीगत	229.6	1863.18	2218.88	11330.00	0	
	योग	892.11	3009.08	3460.95	13900.14	89.78	


C.F.O.


Secretary



Vice Chairman



Chairman/Commissioner

बजट एक दृष्टि में 2022-23


(घनराशि रु0 लाख में)

		वास्तविक बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट
		2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022	2022-23
अ	राजस्व आय					
क						
1	मानचित्र शुल्क	41.80	19.07	30.00	67.38	50.00
2	उपविभाजन शुल्क (50 प्रतिशत)	452.56	442.00	500.00	382.09	575.00
3	शमन शुल्क (25 प्रतिशत)	321.69	141.04	230.00	196.20	450.00
4	पर्यवेक्षण शुल्क	36.23	16.26	60.00	24.65	50.00
5	अन्य आय (टेण्डर, सील, विविध)	8.94	19.57	20.00	30.29	40.00
6	विकास शुल्क (10 प्रतिशत)	69.06	38.50	94.00	52.67	100.00
7	भू उपयोग परिवर्तन शुल्क (10 प्रतिशत)	35.04	12.80	20.00	34.02	80.00
8	अम्बार शुल्क (5 प्रतिशत)	31.08	17.32	43.00	23.70	40.00
9	फ्री होल्ड शुल्क (10 प्रतिशत)	1.69	0.36	12.00	0.41	10.00
10	हरिलोक अनुरक्षण शुल्क	2.27	10.23	70.00	4.38	6.00
11	इन्द्रलोक-1 अनुरक्षण शुल्क	14.96	24.48	85.00	27.04	60.00
12	ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण शुल्क	1.70	1.49	3.00	0.00	20.00
13	हरितिमा शुल्क/पौधारोपण (10 प्रतिशत)	62.15	34.65	85.00	47.40	85.00
14	पंजीकरण पुस्तिका	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
15	लेबर सैस	0.00	423.16	500.00	507.13	600.00
	योग:- (क)	1079.17	1200.93	1756.00	1397.36	2170.00
ख						
1	विनियोगों एवं खातों से प्राप्त व्याज	392.84	439.25	450.00	310.53	400.00
	योग:- (ख)	392.84	439.25	450.00	310.53	400.00
	कुल राजस्व आय (क+ख)	1472.01	1640.18	2206.00	1707.89	2570.00


C.F.O.


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

	वास्तविक बजट 2019-20	वास्तविक बजट 2020-21	प्रस्तावित बजट 2021-22	वास्तविक बजट 31.03.2022	प्रस्तावित बजट 2022-23
ब					
ग					
1	0.27	3.38	14.00	0.00	4.00
2	5.56	4.90	75.00	2.60	10.00
3	0.24	0.00	20.00	2.75	10.00
4	2.36	4.44	10.00	3.23	5.00
5	76.83	16.55	3000.00	0.00	4602.82
6	7.87	13.43	1382.00	12.68	1524.18
7	0.00	0.00	100.00	0.00	1000.00
8	0.00	0.00	100.00	0.00	500.00
9	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
10	69.25	65.21	80.00	45.58	50.00
11	12.81	11.71	1000.00	535.43	1000.00
	योग:- (ग)	175.19	119.62	5782.00	602.27
घ					
1	2276.44	1278.07	2000.00	1683.53	2000.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	623.14
	योग:- (घ)	2276.44	1278.07	2000.00	2623.14
	कुल पूंजीगत आय (ग+घ)	2451.63	1397.69	7782.00	2285.80
	कुल आय (अ+ब)	3923.64	3037.87	9988.00	13900.14
अ					
क					
1	500.53	531.16	875.00	607.52	875.00
2	0.64	0.32	3.00	0.00	3.00
3	0.00	19.51	20.00	12.47	40.00
4	0.85	0.62	10.00	0.34	10.00
	योग:- (क)	502.02	551.61	908.00	928.00


Bhambhani
C.F.O.

Secretary

Vice Chairman


Chairman/Commissioner

ख	कार्यालय व्यय	वास्तविक बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट
		2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022	2022-23
1	डाक	0.28	0.28	1.00	0.39	1.00
2	लेखन सामग्री	2.04	2.78	5.00	0.58	5.00
3	कार्यालय अनुरक्षण	23.00	24.29	30.00	18.97	30.00
4	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.40	0.62	2.00	1.40	5.00
5	पुस्तकालय	0.00	0.11	2.00	0.09	1.00
6	टेलीफोन व्यय	3.22	3.27	4.00	2.97	5.00
7	कानूनी व्यय	12.43	10.12	15.00	12.73	30.00
8	अतिथि सत्कार	1.15	0.42	2.00	0.60	2.00
9	मुद्रण	0.00	1.95	3.00	0.70	3.00
10	विज्ञापन	3.30	19.98	20.00	17.66	30.00
11	विविध व्यय	8.68	8.17	11.00	6.26	10.00
12	मशीनरी अनुरक्षण	1.07	3.00	3.00	1.63	5.00
13	विद्युत अनुरक्षण	5.91	6.45	8.00	7.05	10.00
14	विवेकाधीन कोष (उपाध्यक्ष)	2.00	2.00	8.00	4.98	10.00
15	अस्थायी अग्रिम	0.01	0.00	2.00	0.00	2.00
16	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2.20	2.42	5.00	3.97	8.00
17	अम्बार शुल्क	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00
18	हरिलोक अनुरक्षण	6.80	10.49	10.00	0.74	4.00
19	इन्द्रलोक अनुरक्षण शुल्क	6.85	12.38	20.00	3.98	30.00
20	ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण शुल्क	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
21	आयकर/सर्विस कर आदि	17.39	0.00	400.00	0.00	600.00
22	लेवर सैस	0.00	423.16	500.00	507.13	600.00
	योग:- (ख)	96.73	531.89	1086.00	591.83	1431.00


C.F.O.


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

		वास्तविक बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट
		2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022	2022-23
ग	वाहन					
1	रखरखाव	2.40	1.62	3.00	2.21	4.00
2	पैट्रोल / डीजल	13.41	13.61	20.00	12.34	20.00
3	किराये के वाहन हेतु	29.72	33.42	40.00	15.36	42.00
	योग:- (ग)	45.53	48.65	63.00	29.91	66.00
घ	कर्मचारी अग्रिम					
1	वाहन क्रय हेतु	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2	भवन निर्माण हेतु	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	योग:- (घ)	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
ड	महायोजना	18.23	0.00	25.00	0.00	25.00
	योग:- (ड)	18.23	0.00	25.00	0.00	25.00
च	कम्प्यूटरीकरण (उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास हेतु)	0.00	13.75	100.00	0.00	120.00
	योग:- (च)	0.00	13.75	100.00	0.00	120.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ+ड+च)	662.51	1145.90	2206.00	1242.07	2570.00
ब	पूंजीगत व्यय					
क	संपत्ति क्रय					
1	वाहन / मशीन क्रय	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00
2	कम्प्यूटर क्रय	8.22	4.83	10.00	4.17	10.00
3	फर्नीचर / उपकरण	9.95	5.83	10.00	1.19	10.00
	योग:- (क)	18.17	10.66	30.00	5.36	45.00

Bhendral

—

6

—

		वास्तविक बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट
		2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022	2022-23
ख	भूमि क्रय					
1	नई योजना	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	योग:- (ख)	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
ग	विकास/योजनाओं में विकास कार्य					
1	हरिलोक योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2	परामर्श/प्रशिक्षण आदि	0.00	0.00	10.00	0.00	7.00
3	हरितिमा/पौधारोपण	80.00	84.67	85.00	80.32	85.00
4	ट्रान्स्पोर्ट नगर योजना	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00
5	बी0एच0ई0एल0 पुर्नवास योजना	0.00	0.00	50.00	0.00	200.00
6	इन्द्रलोक योजना-1	67.16	66.64	370.00	17.60	325.00
7	इन्द्रलोक योजना-2	-1.66	0.00	200.00	0.00	100.00
8	आसफ नगर योजना रुड़की	0.00	0.00	220.00	0.00	150.00
9	नयी योजना	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00
10	प्रधानमंत्री आवासीय योजना	0.00	0.00	1000.00	1000.00	3275.00
11	विकास कार्य	0.00	19.80	20.00	0.00	20.00
12	डिपोजिट कार्य	3.13	4.19	18.00	22.70	0.00
	योग:- (ग)	148.63	175.30	2203.00	1120.62	4612.00
घ	अवस्थापना विकास निधि	62.80	1677.22	4549.00	1102.90	5050.00
1	विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00	623.14
	योग:- (घ)	62.80	1677.22	4549.00	1102.90	5673.14
	कुल पूंजीगत व्यय (क+ख+ग+घ)	229.60	1863.18	7782.00	2228.88	11330.14
	कुल व्यय (अ+ब)	892.11	3009.08	9988.00	3470.95	13900.14

Bhendral
C.F.O.

[Signature]
Secretary

[Signature]
Vice Chairman

[Signature]
Chairman/Commissioner

मद संख्या 74 (04)

श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा दिनांक 24.01.2022 को प्रार्थना पत्र के साथ मानचित्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज पेट्रोल पम्प का मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु आनलाईन माध्यम से आवेदन संख्या-एच0आर0डी0ए0/एन0सी0/0182/2021-22 प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था। उक्त स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में स्थित है। उक्त स्थल से 135.00 मीटर की दूरी पर अन्य पेट्रोल पम्प स्थित है। उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक महोदय की आख्या प्राप्त किये जाने हेतु उक्त मानचित्र पत्रावली आनलाईन माध्यम से सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 26.10.2021 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक महोदय को प्रेषित की गयी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा स्थल पर कार्य प्रारम्भ किये जाने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 27/28 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद योजित किया गया है। वर्तमान में फिलिंग स्टेशन का निर्माण लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा स्थल पर कार्य बन्द है। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त निर्माण को शमन किया जा सकता है।

आवेदक उक्त पेट्रोल पम्प को शमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त सन्दर्भित ऑनलाईन मानचित्र आवेदन में प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.10.2021 तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक महोदय की ऑनलाईन आख्या दिनांक 03.12.2021 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के बिन्दु संख्या-7.14(III) के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में नगर निकाय सीमा के बाहर, मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी 01 किमी0 का प्राविधान है यद्यपि प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित स्थल से देहरादून मार्ग की ओर दूसरे फिलिंग स्टेशन की सीमान्तर दूरी मात्र 135.00 मीटर तथा मध्यान्तर दूरी 170.00 मीटर दर्शायी गयी है। शासनादेश संख्या-1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-02 के अनुसार मानकों में 25-50 प्रतिशत की शिथिलता का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में तथा 50 प्रतिशत से अधिक की शिथिलता का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। तथापि प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन स्थल से दूसरी ओर भगवानपुर रूड़की की ओर 01 किमी0 की दूरी तक कोई फिलिंग स्टेशन न होने की दशा में प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड स्तर से विचारोपरान्त अनुमन्य किया जा सकता है।


फिलिंग स्टेशन हेतु अनिवार्यतायें-

क्र0	विवरण	भवन उपविधि / शासनादेशों के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1225.00 वर्ग मीटर	1225.00 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	18.00 मीटर	60.00 मीटर चौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-344 पर स्थित

नाथवानन्द, सीओ
अभियन्ता

03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	—	—
	रियर सेट बैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	3.00 मीटर	3.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	5.00 प्रतिशत	4.20 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	0.05	0.04
06	कैनोपी की ऊँचाई	6.00 मीटर	6.00 मीटर
07	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यूनतम 3.00 मीटर)	भूतल (3.15 मीटर)
08	पार्किंग	80 वर्ग मीटर	84 वर्ग मीटर
09	एक ओर स्थित 02 फिलिंग स्टेशनों के मध्य की दूरी	नगर निगम सीमा के अन्तर्गत/ राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र जिसमें आबादी 20,000 से अधिक हो।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्यानुसार भगवानपुर रूड़की की ओर 01 कि०मी० की दूरी तक कोई फिलिंग स्टेशन न होने की दशा में बोर्ड स्तर से विचारोपरान्त अनुमन्य किया जा सकता है।
10	अन्य विवरण	—	—

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


 वास्तु मंत्री

मद संख्या 74 (05)

श्री दीपक पुत्र श्री तेलू रामद्वारा ग्राम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न0 281/9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवेदक श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0301/21-22 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल बोगला-रोहाल्की मार्ग (ग्रामीण मार्ग) 20.00 मीटर पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल पर भूखण्ड ऐरिया 1208.17 वर्ग मीटर में से फिलिंग स्टेशन का कुल क्षेत्रफल 900.00 मीटर पर फिलिंग स्टेशन का मानचित्र श्री दीपक पुत्र श्री तेलू रामद्वारा ग्राम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न0 281/9 पर प्रस्तुत प्रस्ताव दिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 4105/षस्त्र/सहा-2021/एन0ओ0सी0 दिनांक 31.01.2021 को फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी है। उक्त अनापत्ति के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, जिलापूर्ति अधिकारी हरिद्वार एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, राजस्व विभाग की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय (आर-2) के अन्तर्गत है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना-2025 के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 के अनुसार फिलिंग स्टेशन की स्थापना प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य की जा सकती है।


प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया व स्थल पर भूखण्ड रिक्त है। भूखण्ड नगर निकाय शिवालिक नगर से 1.65 कि०मी० के अन्तर्गत है भवन उपविधि के अध्याय 7.14 के कम (iii) में भूखण्ड का आकार की परिभाषा के अनुसार भूखण्ड के आकार तालिका नगर निकाय सीमा का तात्पर्य विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नगर निकाय सीमा से 3.00 कि०मी० परिधि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र होगा जिसके अनुसार उक्त प्रश्नगत स्थल निकाय सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त के कम में मानचित्र का तकनीकी आख्या निम्नवत् है:-

क०सं०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	900 वर्ग मीटर	900 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	18 मीटर	20.00 मीटर
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	-	-
	रियर सेट बैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	3.00 मीटर	3.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	5.00 प्रतिशत	4.28 प्रतिशत
05	एफ०ए०आर०	0.05	0.0428
06	कैनोपी की ऊंचाई	6.00 मीटर	6.00 मीटर

07	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यूनतम 3.00 मीटर)	भूतल (3.00 मीटर)
08	पार्किंग	80 वर्ग मीटर	80 वर्ग मीटर
09	अन्य विवरण	-	-

प्रस्ताव फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो बोर्ड बैठक के उपरान्त ही अनुमन्य है। तकनीकी जाँच की गयी। जाँचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ0ए0आर0, समस्त सेट बैक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित हैं। उपरोक्तानुसार प्रकरण बोगला-रोहाल्की मार्ग (ग्रामीण मार्ग) अधिशासी अभियंता, पी0डब्लू0डी0 के पत्रांक 1545/13सी दिनांक 24.07.2020 के अनुसार सड़क के मध्य से 10.00 मीटर के बाद बफर स्ट्रीट की स्थापना 19.00 मीटर के बाद फिलिंग प्वाइन्ट का निर्माण किये जाने से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उक्त स्थल पर निर्मित मार्ग 4.00 मीटर चौड़ा मैटल के मध्य बिन्दु 10.00 मीटर प्रस्तावित किया गया है व भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में आवासीय-(R-2) होने के कारण फिलिंग स्टेशन की निर्माण की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।


 अधिशासी अभियंता
 24

उक्त के कम मे मानचित्र की तकनिकि आख्या निम्नवत् है:-

क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1000 वर्ग मीटर	983.02 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	15 मीटर	9.00 मीटर
03	सेट बैंक		
	फन्ट सेट बैंक	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	रियर सेट बैंक	4.50 मीटर	4.50 मीटर
	साईड सेट बैंक-1	3.60 मीटर	3.60 मीटर
	साईड सेट बैंक-2	3.60 मीटर	3.60 मीटर
04	भू-आच्छादन	45.00 प्रतिशत	37.72 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	2.0	1.069
06	भवन की ऊँचाई	12.00 मीटर	9.00 मीटर
	तलों की संख्या	बेसमेंट +जी+ 3	बेसमेंट +जी+ 3
07	पार्किंग	15.31 ई0सी0एस0	15.60 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	-	-

स्थल पर विपक्षी द्वारा आश्रम का नव निर्माण का प्रस्तुत प्रस्ताव दिया है। आवेदक द्वारा भूतल पर पूजा हॉल व डाईनिंग हॉल एवं किचन प्रथम तल पर सतसंग हॉल व डोरमैटरी से द्वितीय तल डोरमैटरी हॉल में प्रस्ताव दिया गया है। बेसमेंट में पार्किंग का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तुत प्रस्ताव आश्रम के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार भू-क्षेत्रफल 983.02 वर्ग मी0 है। जो कि आश्रम हेतु अनुमन्य भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी0 से 1.70 प्रतिशत कम है। शासनादेश संख्या 1311 दिनांक 26.07.2021 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार 25 प्रतिशत तक की शिथिलता का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। आश्रम हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 15 मी0 अनुमन्य है। प्रस्ताव के अनुसार विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 6.10 मी0 एवं मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त 9.0 मी0 के सापेक्ष 40 प्रतिशत की कमी हैं। शासनादेश संख्या 1311 दिनांक 26.07.2021 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार 25 से 50 प्रतिशत की शिथिलता का अधिकार उडा बोर्ड में निहित है। जॉचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ0ए0आर0, समस्त सेट बैंक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित हैं।

अतः उपरोक्तानुसार पहुंच मार्ग में 40 प्रतिशत की कमी के दृष्टिगत उडा बोर्ड को संदर्भित करने एवं भू-खण्ड क्षेत्रफल में 1.70 प्रतिशत की शिथिलता का प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

महेश्वर चोशी
अविशाही 26 अश्विन

मद संख्या 74 (07)

श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के कम में निर्मित बैंकट को शमन व होटल के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान व नितिन गौतम व सचिन गौतम पुत्रगण लक्ष्मीकान्त द्वारा HRDA/NC/OTS/0133/21-22 में आवेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल नहर पटरी कनखल टू प्रेमनगर चौक मार्ग, 24 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल का पूर्व में नोटिस संख्या- कनखल /90/09-10 में कुल भूखण्ड ऐरिया विक्रय पत्र के अनुसार 11457.73 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड ऐरिया 10037.73 वर्ग मीटर में से मार्गधिकार 211.32 वर्ग मीटर छोड़ते हुए नैट भूखण्ड ऐरिया 9826.41 वर्ग मीटर पर होटल का मानचित्र आवेदक श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान व श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त ग्राम शेखूपुरा कनखल के खसरा संख्या-222 व 203 परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला-हरिद्वार में नैट भूखण्ड ऐरिया 9826.41 पर शमन मानचित्र बैंकट हाल व प्रस्तावित होटल के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में आवासीय-(R-1) के अन्तर्गत एवं महायोजना मार्ग नहर पटरी कनखल टू प्रेमनगर चौक मार्ग, 24 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। प्रस्तुत प्रस्ताव महायोजना मार्ग हेतु अपनी भूमि में से मार्गाधिकार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त कुल भूखण्ड ऐरिया विक्रय पत्र के अनुसार 11457.73 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड ऐरिया 10037.73 वर्ग मीटर में से मार्गधिकार 211.32 वर्ग मीटर छोड़ते हुए नैट भूखण्ड ऐरिया 9826.41 वर्ग मीटर पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है। महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 आवासीय (R-1) भू-उपयोग में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर 1500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में होटल/व्यवसायिक प्रतिष्ठान आच्छादित हैं। 1500 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त होटल का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है।

क्र०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1000 वर्ग मीटर	9826.41 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	12 मीटर	12.00 मीटर
03	सेट बैंक		
	फ्रन्ट सेट बैंक	12.00 मीटर	12.00 मीटर
	रियर सेट बैंक	7.00 मीटर	7.00 मीटर
	साईड सेट बैंक-1	7.00 मीटर	7.00 मीटर
	साईड सेट बैंक-2	7.00 मीटर	7.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	45.00 प्रतिशत	13.17 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	2.0	0.343


06	भवन की ऊँचाई	21.00 मीटर	21 मीटर
	तलों की संख्या	बेस्मैट +जी+ 6	बेस्मैट +जी+ 6
07	पार्किंग	66.60 ई0सी0एस0	67.54 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	-	-

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया व स्थल के फोटोग्राफ्स भी लिये गये जो पत्रावली में दांयी ओर संलग्न हैं। स्थल पर विपक्षी द्वारा टिनशैड हॉल के निर्माण को शमन व होटल का नव निर्माण का प्रस्तुत प्रस्ताव दिया है। आवेदक द्वारा 55 कमरे प्रथम से पंजम तल मे प्रस्ताव दिया गया है। बेस्मैट मे पार्किंग व ग्राउण्ड फ्लोर हॉल का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तुत प्रस्ताव होटल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो बोर्ड बैठक के अनुमोदन उपरान्त ही अनुमन्य है। तकनीकी जाँच की गयी। जाँचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ0ए0आर0, समस्त सेट बैक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि व OTS SCHEME-2021 के अनुसार प्रस्तावित हैं।

उपरोक्तानुसार महायोजना मार्ग नहर पटरी कनखल टू प्रेमनगर चौक मार्ग, 24 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है 1500 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा होने के कारण होटल के निर्माण व्यवसायिक सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


अध्यक्षी अधिकारी

मद संख्या 74 (08)

खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना का प्रस्ताव संख्या आरई-1/आर0एस0-11/112/13-14 दिनांक 25.04.2004 को श्री कमल कांत मलिक पुत्र स्व0 श्री एच0आर0 मलिक, श्री निशांत मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक व श्रीमती दीप शिखा मलिक पत्नी श्री निशांत मलिक के पक्ष में प्रदान की गयी थी। स्वीकृति के सापेक्ष स्थल पर वर्तमान स्वामीगण श्री कमलकान्त मलिक पुत्र स्व0 श्री एच0आर0मलिक, श्री निशांत मलिक पुत्र श्री कमलकान्त, श्रीमती दीप शिखा मलिक पत्नी श्री निशांत मलिक व श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री रविन्द्र कुमार व श्री ललित नैय्यर पुत्र श्री रविन्द्र कुमार व श्रीमती आरती नैय्यर पत्नी श्री ललित नैय्यर द्वारा उक्त परियोजना के ब्लॉक A स्टिल फ्लोर+06 निर्मित व दो तलों का नव निर्माण व ब्लॉक B बेसमेन्ट+भूतल+ तल में निर्मित तथा ब्लॉक C में नव निर्माण का प्रस्ताव के अनुसार परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत स्थल का भू-उपयोग आवासीय (आर-2) के अन्तर्गत है तथा महायोजना मार्ग/एन0एच0 58 (60मीटर चौड़ा मार्ग) पर स्थित है। उक्त भू-उपयोग में होटल के प्रस्तावित निर्माण हेतु आवश्यक सेट बैक, पार्किंग का प्राविधान उपलब्ध है। महायोजना के अध्याय 10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 आवासीय भू-उपयोग में 1500 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड /नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदन उपरान्त निर्माण की स्वीकृति अनुमन्य है।

तदनुसार उक्त होटल के परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-74 (02)

70 (05) हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य सम्बन्धी अनुपालन आख्या से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों की बचत से हरिद्वार तीर्थ की गरिमा के अनुरूप 01 सुन्दर पार्क विकसित किया जाय।


70 (10) मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कडच्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिये अनुमोदित रू० 941.02 लाख की स्वीकृति में बढोत्तरी/ विचलन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही किये जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।

70 (29) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद :-


स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान के कुछ खसरो में भिन्नता होने के कारण जोनल प्लान के सम्बन्ध में सी०टी०सी०पी० द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा जोनल प्लान से सम्बन्धित समस्त कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष एक प्रतिशत कार्य में उनके द्वारा जोनल प्लान से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के लिए प्राधिकरण स्तर से एक माह का समय प्रदान किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या-72 (04)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में क्रय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या-72 (05)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या-72 (08)

प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-72 (10)

प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों /भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुरक्षण शुल्क बकाया वसूली की कार्यवाही की जाय तथा प्राधिकरण व नगर निगम, हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर Hand Over किये जाने की कार्यवाही शीघ्र प्रथामिकता से सुनिश्चित किया जाय तथा एम.एन.ए. द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार योजना में सामुदायिक केन्द्र सम्बन्धित नगर निगम /नगर पालिका को हस्तान्तरण करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या-74 (03)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तथा प्राधिकरण को आय में बढोत्तरी हेतु पूर्व में स्टाम्प शुल्क मद से प्राप्त आय हेतु शासन से पत्राचार किये जाने के निर्देश दिये गये तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/ Commissioner

मद संख्या 74 (10)

श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि० रकबा 380.0वर्गमी०, खसरा संख्या 824 मि०रकबा 5402.0 वर्गमी० कुल रकबा 5782.0 वर्गमी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी निवासी सीकरी खुर्द मोदीनगर, गाजियाबाद के हरिद्वार क्षेत्र में स्थित मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि० रकबा 380.0वर्गमी०, खसरा संख्या 824 मि०रकबा 5402.0 वर्गमी० कुल रकबा 5782.0 वर्गमी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया। वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा शासनादेश संख्या 468 दिनांक 12.07.2019 में निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण का परीक्षण कर निम्नवत् आख्या उपलब्ध करायी गयी जो निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खसरा संख्या 801 मि० रकबा-360.0 वर्ग मी० खसरा सं०-824 मि० रकबा-5402.0 वर्गमी० कुल रकबा-5782.0 वर्गमी० मौजा-रानीपुर (बाहरहदूद) नगर निगम सीमा से बाहर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित है।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न भू-स्वामित्व संबंधी अभिलेखानुसार प्रश्नगत भूमि नगर निकाय सीमा से बाहर स्थित है तथा आवेदक के भू-स्वामित्व की पुष्टि प्राधिकरण स्तर से की जानी आवश्यक होगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की प्लान में वर्णित अनुसार प्रश्नगत स्थल हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से 21.0 मी० चौड़े मार्ग द्वारा 156.0 मी० की दूरी पर स्थित है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की प्लान में उल्लेखित दूरियों के अनुसार प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत भू-उपयोग सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक है। (आंशिक हरिद्वार महायोजना-2025 में स्थित स्थल की छायाप्रति संलग्न है)।
5. प्रश्नगत स्थल हरिद्वार महायोजना-2025 नगरीय प्रसार के निकट स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सन्निकट आवासीय निर्माण की गतिविधियां गतिमान है।
6. शासनादेश संख्या 1895/V/आ०-2016-11 (एल०यू०सी०)/03-2016 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 के प्राविधानानुसार महायोजना सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग में निर्धारित मार्ग एवं विश्वविद्यालय भू-उपयोग से परिवर्तन प्रतिबन्धित होंगे तथा अन्य उपयोगों में भू-उपयोग परिवर्तन विचारणीय होगा।

अतः प्रश्नगत स्थल हरिद्वार महायोजना-2025 में नगरीय प्रसार के निकट स्थित है। प्रश्नगत क्षेत्रान्तर्गत जनधनत्व के दबाव के कारण आवासीय कालोनियों का तीव्र विकास एवं निर्माण कार्य गतिमान है। उक्त क्षेत्र के सन्निकट आवासीय निर्माण एवं विकास गतिविधियों के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाना विचारणीय है।

चूंकि प्रस्तावित भूउपयोग परिवर्तन स्थल का क्षेत्रफल 10000 वर्ग मी० से कम है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1311 दिनांक 26.07.2021 के प्रस्तर 1.1 के अनुसार 4000 से 10000 वर्ग मी० तक के भू-क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

माधवकानन्द जोशी
अधिकारी अतिरिक्त

मद संख्या-74 (04)

श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वार स्थल खसरा सं०-04, मौजा रायपुर, एन०एच०-73 तहसील भगवानपुर, जिला- हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (05)

श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा ग्राम अतमलपुर बाँगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा नं०-281 /9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से राय लेते हुए तदनुसार सी०टी०सी०पी०की राय लेते हुए प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (06)

माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि० ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र शर्मा मानचित्र आवेदन सं०- HRDA/NC/0035/22-23 के क्रम में प्रस्तावित आश्रम भवन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (07)

श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन सं०- HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के क्रम में निर्मित बैंकट हाल को शमन

Secretary

Vice Chairman

Chairman/ Commissioner

मद संख्या 74 (11)

प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धि तथा श्रेणी "E" के रूप में सृजित नई श्रेणी हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 244(1)/XXVII(7)/30/2007 TC दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत ठेकेदारों की निर्माण कार्य लागत की सीमा में वृद्धि की गयी है। साथ ही शासनादेश के अन्तर्गत बिना कार्यानुभव के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु श्रेणी "E" के रूप में एक नयी श्रेणी सृजित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को अधिकतम रू0. 20.00 लाख तक के कार्य आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके दृष्टिगत नव सृजित श्रेणी "E" हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उक्त शासनादेश में पूर्व से सृजित ए0,बी0,सी0 एवं डी0 श्रेणियों की कार्य लागत क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। जिसके दृष्टिगत उक्त श्रेणियों में पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु वर्तमान दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि किया जाना व्यवहारिक प्रतीत हो रहा है। अतः पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु पूर्व स्वीकृत दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि किये जाने तथा नव सृजित श्रेणी "E" हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	पंजीकरण की श्रेणी	प्राधिकरण में वर्तमान में लागू शासनादेश संख्या 2611/III(2)/07-75 (सामान्य)/2000 दिनांक 26.10.2007	निर्माण लागत की सीमा शासनादेश संख्या 1197/ III(2)/07-75 (सामान्य)/ 2000 दिनांक 24.02.2014	शासनादेश संख्या 244(1)/XXVII(7)/30/2007 TC दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा संशोधित कार्य लागत सीमा (बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित)	70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 द्वारा स्वीकृत पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क रू0. में (03 वर्ष हेतु)	श्रेणी ए0,बी0,सी0, डी0 हेतु 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ तथा नव सृजित श्रेणी ई0 हेतु प्रस्तावित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क रू0.में (03 वर्ष हेतु)
01	02	03	04	05	06	07
01	"ए0"	असीमित	रू0. 02.00 करोड़ से अधिक	रू0. 3.00 करोड़ से अधिक	रू0. 25,000-00	रू0. 30,000-00
02	"बी0"	रू0. 01.00 करोड़ तक	रू0. 02.00 करोड़ तक	रू0. 3.00 करोड़ तक	रू0. 15,000-00	रू0. 18,000-00
03	"सी0"	रू0. 40.00 करोड़ तक	रू0. 01.00 करोड़ तक	रू0. 1.50 करोड़ तक	रू0. 10,000-00	रू0. 12,000-00
04	"डी0"	रू0. 25.00 लाख तक	रू0. 50.00 लाख तक	रू0. 75.00 लाख तक	रू0. 5,000-00	रू0. 6,000-00
05	"ई0"	-	-	रू0. 20.00 लाख तक	-	रू0. 5,000-00

अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या 244(1)/XXVII(7)/30/2007 TC दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा पूर्व निर्धारित श्रेणियों हेतु संशोधित कार्य लागत सीमा की स्वीकृति एवं ए0,बी0,सी0 एवं डी0 श्रेणियों हेतु संशोधित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क तथा ठेकेदारों हेतु नव सृजित श्रेणी "E" हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क रू0. 5,000-00 निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


महेशचन्द्र जोशी
प्रमुख अधिकारी

व होटल स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा आस-पास के क्षेत्रों की स्थिति का आंकलन करते हुए सी०टी०सी०पी० से राय लेते हुए तदनुसार सी०टी०सी०पी०की राय लेते हुए प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (08) खसरा नम्बर 197,199,200,201,202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से राय लेते हुए तदनुसार प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (09) हरिद्वार सीवरेज योजना में के०एफ०डब्लू० वित्त पोषित सीवरेज कार्य हेतु इन्द्रलोक योजना भाग-1 तथा ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद संख्या-74 (10) श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं०-801 मि० रकबा 380.00 वर्ग मी०, खसरा सं०-824 मि०रकबा 5402.00 वर्ग मी० कुल रकबा 5782.00 वर्ग मी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से राय से सहमति व्यक्त करते बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 74 (12)

प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि कय किये जाने के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि हरिद्वार जिले में दिनों दिन विभिन्न आद्योगिक गतिविधियों की बढ़ोत्तरी तथा पर्यटन एवं तीर्थस्थल होने के कारण हरिद्वार शहर जन सामान्य के निवास हेतु आकर्षित करता है। प्राधिकरण के पास भूमिबैंक न होने के कारण आम जन की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने में कठिनाई होती है जिस कारण विकास क्षेत्र में निजी भूविकासकर्ताओं द्वारा अधिकृत/अनाधिकृत रूप से विकसित कालोनियों में आमजन द्वारा भूमि/भवन कय किया जाता है। अनाधिकृत कालोनी होने की दशा में आम जन को भूमि भवन कय करने के पश्चात् अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में कालोनी विकसित करने की दशा में क्षेत्र का सुनियोजित विकास होता है तथा इसमें सम्पत्ति कय करने वाले आमजन को कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता है। चूंकि प्राधिकरण के पास भूमि बैंक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, प्राधिकरण के भूमि बैंक को बढ़ाये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम 2015 की अधिसूचना संख्या 1796 दिनांक 08.12.2015 यथा संशोधित संख्या 1438 दिनांक 18.11.2016 के अनुसार आपसी समझौते के माध्यम से हरिद्वार विकास क्षेत्र में भूमि कय किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-74 (11) प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धि तथा श्रेणी "E" के रूप में सृजित नई श्रेणी हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद संख्या-74 (12) प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (13) उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-40 / V-2/21/55(आ0) /2006 टी0सी0-1 देहरादून दिनांक 07-01-2022 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2021 को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अंगीकृत किया गया तथा प्राधिकरण स्तर से दिये गये सुझाव को शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (14) सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 74 (13)

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40/V-2/21/55 (आ0)/2006 टी0सी0-1 देहरादून दिनांक 07.01.2022 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-40/वी-2/2022-55(आ0)/2006 टी0सी0-1 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा शासनादेश संख्या-888 दिनांक 12.06.2015, 39 दिनांक 05.02.2019, शासनादेश संख्या-1037 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा यथा संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के साथ संलग्न तालिका-1, तालिका-2 एवं तालिका-3 में उल्लिखित प्राविधानों एवं संगत शासनदेशों में भवनों की ऊँचाई के प्राविधानों को संशोधित किया गया है।

शासन द्वारा उक्त अधिसूचना को प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत कराकर अंगीकृत करने के निर्देश है। यदि स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त भवन उपविधि में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो उसे भी प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत कराते हुए तदनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश है। उक्त भवन उपविधि को कार्यालय पत्र संख्या 5690 दिनांक 28.02.2022 द्वारा कार्यालय के समस्त अभियन्ताओं तथा पंजीकृत मानचित्रकारों/अभियन्ताओं को उनके सुझाव/आपत्ति एवं मन्तव्य हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके सापेक्ष कार्यालय के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन-2021 में उल्लिखित प्राविधान के बिन्दु संख्या 5.1 को छोड़कर अन्य उल्लिख प्राविधान स्वीकार किये जाने योग्य हैं। संशोधित उपविधि-2021 के बिन्दु संख्या 5.1 भवनों की अधिकतम उंचाई पर निम्न सुझाव प्राप्त हैं:-

उपविधि की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान	सुझाव/मन्तव्य
5.1	भवनों की अधिकतम ऊंचाई	HEIGHT OF THE BUILDING	भवन उपविधि/विनियम- 2011 यथा संशोधित-2015-2019 में ऐसे एकल

मायदान दे जीपी
उपविधि-2021

5.1 (I)

भवनों की अधिकतम ऊँचाई की अधिकतम ऊँचाई निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंतर्गत निर्धारित ऊँचाईयों में से न्यूनतम ऊँचाई अनुमन्य होगी:-

(A) The Maximum height of the building shall be as given below in Plains: (except high rise

Existing Right of way:- public road/road of sanctioned layout plan/authorized road in front of plot/building	Maximum height buildings (mt.)
--	--------------------------------

<u>Less than 7.5mt.</u>	<u>6.0</u>
-------------------------	------------

More than and equal to 7.5 mt and less than 9.0 mt.	9.0
---	-----

More than and equal to 9.0mt and less than 12.0 mt.	12.0
---	------

More than and equal to 12.0mt and less than 18.0 mt.	24.0
--	------

More than and equal to 18.0mt.	30.0
--------------------------------	------

building zones defined in the Master Plan).

आवासीय भूखण्ड , जो भवनों से घिरे हुये है तथा जिनके सम्मुख स्थित मार्ग की चौड़ाई 9.0 मीटर से कम है , में भूखण्ड के सम्मुख स्थित मार्ग की न्यूनतम निर्धारित 9.0 मीटर चौड़ाई सुनिश्चित करने हेतु भू-खण्ड से वांछित मार्गाधिकार छोडते हुये मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। शासनादेश सं0-40 दिनांक-07/01/2022 में एकल आवासीय भवनो में 7.50 मी0 मार्ग की चौड़ाई तक 6.00 मीटर की ऊँचाई का प्राविधान किया गया है इस ऊँचाई में निर्माण हेतु प्राप्त होने वाले भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 की पूर्ति भी नही होगी। चूकि शासनादेश सं0-1798 दिनांक-08.12.2016 के अनुसार मार्ग की न्यूनतम निर्धारित 9.0 मीटर चौड़ाई सुनिश्चित करने हेतु भू-खण्ड से वांछित मार्गाधिकार छोडते हुए मार्ग को 9.0 मीटर किया जाना जरूरी है। अतः एकल आवासीय भवन हेतु भवन की ऊँचाई 9.0 मीटर मार्ग के सापेक्ष ही लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार अधिसूचना संख्या-40/V-2/21/55 (आ0)/2006 टी0सी0-1 देहरादून, दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निम्नवत् प्रस्ताव हैं:-

01. हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त उपविधि के भवनों की अधिकतम ऊँचाई के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दु संख्या 5.1, 5.1(i) में उपरोक्तानुसार संशोधन को स्वीकृत करते हुए शासन को अग्रसारित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति।
02. ऊँचाई के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दु संख्या 5.1, 5.1(i) को छोडकर शेष प्राविधानों को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

माधवचन्द्र जोशी
आवासीय अभियन्ता

मद संख्या 74 (14)

सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनधिकृत कालोनियो के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर के पीछे सुमन नगर के नाम से काफी बड़े भू-भाग में अनाधिकृत रूप से कालोनियो विकसित हुई है। प्रश्नगत स्थल मूलरूप से टिहरी विस्थापितों को आवंटित था, जिसे बाद में विभिन्न व्यक्तियों तथा भूविकासकर्ताओं द्वारा कालोनी का स्वरूप दिया गया। वर्तमान समय तक इस क्षेत्रान्तर्गत 25 कालोनियो का चिन्हित कर उनके विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है तथा इन कालोनियो को बैरिकेडिंग के माध्यम से सील करते हुए पंधुच मार्ग को ध्वस्त किया गया है। हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भूउपयोग कृषि एवं हरित पट्टी है। वर्तमान में यह क्षेत्र पूर्णतः अविकसित है तथा कुछ स्थानों पर व्यक्तियों द्वारा भवन भी निर्मित किये गये हैं। क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं में पेयजल व्यवस्था, सीवर व्यवस्था नियमानुसार मार्ग, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा क्षेत्र में जलभराव की समस्या भी रहती है जिसकी निकासी हेतु कोई व्यवस्था भी नहीं है। कतिपय कालोनाईजर/व्यक्तियों द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण/विकास को नियमित किये जाने का अनुरोध भी किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में भू उपयोग के विरुद्ध विकास कार्य होने के कारण इन्हें नियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्ताव है कि सुमन नगर में स्थापित अनधिकृत कालोनी की मूलभूत सुविधार्ये यथा जल निकासी, सीवर व्यवस्था, जलापूर्ति व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विभागों से आख्या तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की सहमति से भू-उपयोग परिवर्तन विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सुमन नगर
कृषि भू-उपयोग

मद संख्या 74 (15)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त भूखण्डों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में कई वर्षों से भवनो/भूखण्डों के विक्रय न हो पाने के फलस्वरूप प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंतिम मूल्यांकन पर 15 प्रतिशत ब्याज जोड़कर मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को वर्तमान में बैंकों/हुडको की वर्तमान लागू ब्याज दरों को निर्धारित कर अंतिम मूल्य को (वर्तमान/विक्रय करने के समय) ब्याज दर लगाकर संशोधित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड में लाया गया था। बोर्ड की 72 वीं बैठक द्वारा इन्द्रलोक/ट्रान्सपोर्ट नगर योजनाओं की रिक्त सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियों का कॉस्ट अनालसिस कराकर पुनः मूल्यांकित ब्याज दर पर शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया था। चूंकि पूर्व में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के मूल्यांकन पर कोई निर्णय नहीं हुआ हो पाया था।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 18.12.2021 के क्रम में कार्यालय आदेश सं0-4350 दिनांक 20.12.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी।

समिति द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल दर के हिसाब से अनुमानित आय बिन्दुवार :-

क्र0 स0	समिति द्वारा क्षेत्रफल दर निर्धारित की का आधार	समिति के द्वारा प्रस्तुत दर वर्ष (2021-22) हेतु सुझाये गये मूल्य का विवरण (प्रति वर्गमीटर)	पूर्व में विक्रय की गयी भूमि से प्राप्ति (लाख में)	अवशेष भूमि क्षेत्रफल (50,918.256) वर्ग मी0 के विक्रय से सुझाये गये दर से आय (लाख में)	परियोजना के विक्रय से कुल आय (5+6) (लाख में)	परियोजना की लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आवंटन नियमावली के अनुसार हर वर्ष 15% जोड़कर	47862.00	1890.30	24370.49	26260.80	3255.05
2	कॉस्ट इण्डेक्स के आधार पर	23572.000	1890.30	12002.45	13892.75	3255.05
3	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नगत क्षेत्र का सर्किल दर के आधार पर	25300.00	1890.30	12882.31	14772.63	3255.05
4	इन्द्रलोक आवासीय योजना के बोर्ड निर्णयानुसार अनुसार उक्त योजना में भी वर्ष वार 12% जोड़कर	40843.00	1890.30	20796.54	22686.85	3255.05

उपरोक्तानुसार अनिस्तारित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी दर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के लिए की गयी थी। जिसको वर्ष 2023-24 तक के लिए फ्रीज किया जाना उचित होगा एवं तत्पश्चात वर्ष 2023-24 के उपरांत आगामी वर्षों हेतु बोर्ड द्वारा निर्णित दर पर आवंटन नियमावली के अनुसार 15% जोड़ा जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाना विचारणीय है। सारणी में सुझाये गये दर पर परियोजना को किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। चूंकि परियोजना को विक्रय करने हेतु कई बार प्रयास करने के बावजूद दर अधिक होने के कारण भूखण्डों का विक्रय नहीं हो पा रहा है। भूखण्डों को विक्रय करने की दृष्टि से विक्रय मूल्य की दर कम किया जाना परम आवश्यक है, ऐसी दशा में उक्त चारों विकल्पों में से बिन्दु संख्या 04 के विकल्प जिसका क्षेत्रफल दर 40,843.00 का चयन प्राधिकरण हित में करके सम्पत्ति को त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास किये जाने हेतु निर्णय का प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



महेशचन्द्र जोशी
अधिसारी अधिसूचना


मद संख्या 74 (16)

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त भवनों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।

कृपया हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित सम्पत्तियों की कीमत (कॉस्ट बेनीफिट एनालसिस) हेतु EOI आमंत्रित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 07.10.2021 के अनुपालन में कार्यालय पत्र सं०-2862/ सम्पत्ति-2(क)-63/2019-20 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 द्वारा कास्ट एकाउन्टेंट के निविदा/आवेदन के सम्बन्ध में प्राधिकरण की वेबसाईट www.onlinehrda.com एवं दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में दिनांक 08.10.2021 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। नियत अवधि में कोई आवेदन कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रिक्त भवनों के निस्तारण हेतु कार्यालय स्तर से ही प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि अनिस्तारित सम्पत्तियों की योजनाओं में लगभग 95% से अधिक सम्पत्तियों का विक्रय/निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में संदर्भित योजनाओं का कॉस्ट बेनीफिट एनालसिस कराया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रश्नगत समस्त योजनाएँ लाभ की स्थिति में हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनिस्तारित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु अंतिम बार निविदा के माध्यम से दिनांक 30.06.2018 को नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई निविदा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों (फ्लैटो)/भवनों के विक्रय हेतु कई बार प्रयास करने के बावजूद दर अधिक होने के कारण भवनों का विक्रय नहीं हो पा रहा है। अनिस्तारित भवनों को विक्रय करने की दृष्टि से विक्रय मूल्य की दर कम किया जाना परम आवश्यक है। अवगत कराना है कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में ग्रुप हाउसिंग अन्तर्गत 2 बी०एच०के० व ई०डब्लू०एस० से संबंधित कास्टिंग की पत्रावली सं०-अभि०-1(क)-22/2013-14 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग योजना के मूल्यांकन आवासीय भवन(फ्लैटो) हेतु 15 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर 12 प्रतिशत ब्याज किये जाने पर लिये गये निर्णय के आधार पर कास्टिंग की गयी जिसका अनुमोदन संबंधित पत्रावली में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी को आधार मानते हुये प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्ति (43 भवन) के विक्रय हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्तिम स्वीकृत निविदा वर्ष 2017-18 में नीलामी के माध्यम से मांगे गयी निविदा को आधार वर्ष मानते हुए, रिक्त भवनो में 15% प्रतिशत के स्थान पर 12% किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



मद संख्या-74 (15) ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त भूखण्डों के पुर्नमूल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन्द्रलोक आवासीय योजना के लिए बोर्ड निर्णयानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक जोडते हुए रू0 40843.00 प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-74 (16) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त भवनों के पुर्नमूल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन्द्रलोक आवासीय योजना के लिए बोर्ड निर्णयानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक जोडते हुए तैयार आधार मूल्य पर निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-74 (17) हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक /मानदेय बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।


अन्त में सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0एव/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं उपाध्यक्ष /जिलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 74 (18)
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद



महदेवचन्द जोशी
अभिशासी अधिकारी

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर हरिद्वार।

संख्या : 1561/प्रशा0-2(क)-22/79/2022-23

विषय : हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

दिनांक: 07/07/2022

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 को अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल गढ़वाल की अध्यक्षता में कार्यालय हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

0/c (उत्तम सिंह चौहान)
सचिव

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

0/c (उत्तम सिंह चौहान)
सचिव

कार्यालय हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार


संख्या : 1562/प्रशा0-2(क)-22/79/2022-23

दिनांक: 07/07/2022

- 1- संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, रूडकी
- 2- मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
- 3- प्राधिकरण अधिवक्ता एवं तहसीलदार, हरिद्वार।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
- 5- अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
- 6- प्रशासनिक अधिकारी/समस्त वाद सहायक।
- 7- आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने-अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


संलग्न: उपरोक्तानुसार।


सचिव

o/c हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपि:

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c 
सचिव